

# कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग

## राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्राशि/पविप/5वीं-8वीं परीक्षा/दिशानिर्देश/2022

दिनांक- 13.04.2022

### कार्यालय आदेश

राज्य में अत्यधिक गर्मी और लू को देखते हुए "प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) परीक्षा के पूर्व निर्धारित समय विभाग चक्र एवं निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र.सं.	विषय व कोड	परीक्षा की पूर्व निर्धारित दिनांक व वार	समय	परीक्षा की संशोधित दिनांक	परीक्षा का संशोधित समय
1	गणित	19.04.2022 मंगलवार	2:00 बजे से सायं 4.30 बजे तक	27.04.2022 बुधवार	07.30 बजे से 10.00 बजे तक
2	अंग्रेजी	21.04.2022 गुरुवार	2:00 बजे से सायं 4.30 बजे तक	01.05.2022 रविवार	07.30 बजे से 10.00 बजे तक
3	हिन्दी	23.04.2022 शनिवार	2:00 बजे से सायं 4.30 बजे तक	08.05.2022 रविवार	07.30 बजे से 10.00 बजे तक
4	पर्यावरण अध्ययन	26.04.2022 मंगलवार	2:00 बजे से सायं 4.30 बजे तक	12.05.2022 गुरुवार	07.30 बजे से 10.00 बजे तक
5	संस्कृत (संस्कृत विद्यालय हेतु) उर्दू (मदरसों एवं उर्दू माध्यम विद्यालय हेतु) / सिन्धी	27.04.2022 बुधवार	2:00 बजे से सायं 4.30 बजे तक	17.05.2022 मंगलवार	07.30 बजे से 10.00 बजे तक

समस्त विद्यालय अपने विद्यार्थियों को संशोधित समय सारिणी की जानकारी देना सुनिश्चित करें।  
पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(काना राम)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) संस्कृत शिक्षा, कला साहित्य, संस्कृति तथा ए.एस.आई. राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. प्राचार्य, डाइट समस्त
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (मा.शि./प्रा.शि.) समस्त।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त।
11. केन्द्राधीक्षक एवं संस्थाप्रधान समस्त।
12. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण, पी.एस.पी., शैक्षिक।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर